

आदेश नं इजलास डॉ. विवेकानंद कुमार सोनी आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 488 / 2024 (धारा 14 सिक्योरिटी/अर्थांगन)

आई.टी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड गणना कार्यालय तृतीय वल, प्रसाईपल, बिल्डिंग, नालवीग नगर,
जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. प्रकाश गठोट

पता - सी-19, अमर नगर सी, खिली माटवा, सी-खिली माटवा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं नासुटर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.



रमेश कुमार जामिंद अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.09.2025

- संक्षेप में प्रकरण का तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्गुप्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री प्रकाश सिंह के स्वामित्व की चल सम्पत्ति सजिस्ट्रेशन नम्बर ORG296122324 इंजन नम्बर HYD90N640EEJ0000949 डैसीस नम्बर CE बॉडी टाईन CE नॉडल R215SMART PLUS HYDRAULIC EXCAVATOR एवं सजिस्ट्रेशन नम्बर ORG2548 इंजन नम्बर CE डैसीस नम्बर 139EY021A61301 बॉडी टाईन CE नॉडल 13242038 SANY HYDRAULIC CRAWLER EXC को हाईपैथिकेट रख कर दिनांक 28.04.2022 को राशि 55,20,000/- रुपये एवं राशि 31,30,000/- रुपये कुल राशि 87,10,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण मुक्तान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.01.2024 को सजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि नव ब्याज मुक्तान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपैथिकेट सम्पत्ति का नौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आदेशक मुलेस इन्कार उपलब्ध का अनुरोध किया है।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज सजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सूना गया। पत्रादारी का नलीनार्ति अदलोकन किया गया।
- पत्रादारी के अदलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 87,10,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिराई रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि नव ब्याज कुल राशि 72,69,077/- रुपये जमा करने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 09.01.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का मुक्तान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था हाईपैथिकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में हाईपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्री प्रकाश सिंह** के स्वाभित्त्व की चल सम्पत्ति रजिस्ट्रेशन नम्बर **ORGRV6222324** इंजन नम्बर **HYNDN640EE0000949** चैसीस नम्बर **CE बॉडी टाईप CE मॉडल R215SMART PLUS HYDRAULIC EXCAVATOR** एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर **ORG2548** इंजन नम्बर **CE चैसीस नम्बर 18SEY021A61801 बॉडी टाईप CE मॉडल 13242038 SANY HYDRAULIC CRAWER EXC** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त चल सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्रावली करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक **08.09.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।



(**डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी**)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर
355-53
24/9/25